

**छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति,
संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, नया रायपुर, 492002
दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax), E-Mail : dirwcd.cg@nic.in**

क्र./ 10473/894/मबावि/मि.वा./2024-25 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/24

“विज्ञापन”

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं एवं किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं तथा किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 27/12/2024 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला बस्तर के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	00	02 (01 पद महिला)	00	01	03	23170/-
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	00	02 (01 पद महिला)	00	01	03	18536/-
3	हाउस फादर	01	00	00	00	01	14564/-
4	पैरामेडिकल स्टॉफ	01	02 (01 पद महिला)	00	01	04	11916/-
5	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	03 (01 पद महिला)	00	01	05	10000/-
6	एजुकेटर	01	01	00	00	02	10000/-
7	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	01	00	00	02	10000/-
8	रसोईया	01	01	00	00	02	9930/-
9	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	02 (01 पद महिला)	00	00	03	7944/-

2. जिला बिलासपुर के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	01	01	01	00	03	23170/-
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01 (महिला)	01	01	00	03	18536/-
3	हाउस फादर	01	01	00	01	03	14564/-
4	पैरामेडिकल स्टॉफ	01	01	01	00	03	11916/-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
5	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	02 (01 पद महिला)	01	01	00	04	10000 / -
6	एजुकेटर	01 (महिला)	00	01	00	02	10000 / -
7	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01 (महिला)	00	01	00	02	10000 / -
8	रसोईया	02 (01 पद महिला)	01	00	01	04	9930 / -
9	सहायक सह रात्रि चौकीदार	02 (01 पद महिला)	01	01	01	05	7944 / -

3. जिला कोरबा के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	01	00	00	00	01	23170 / -
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01	00	00	00	01	18536 / -
3	पैरामेडिकल स्टाफ	01	00	00	00	01	11916 / -
4	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
5	एजुकेटर	01	00	00	00	01	10000 / -
6	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
7	रसोईया	01	00	00	00	01	9930 / -
8	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	00	00	00	01	7944 / -
9	हाउस कीपर	01	00	00	00	01	7944 / -

4. जिला रायगढ़ के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	हाउस फादर	01	00	00	00	01	14564 / -
2	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
3	एजुकेटर	01	00	00	00	01	10000 / -
4	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
5	रसोईया	01	01	00	00	02	9930 / -
6	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	00	00	00	01	7944 / -

5. जिला जशपुर के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	पैरामेडिकल स्टाफ	01	00	00	00	01	11916 / -
2	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
3	एजुकेटर	01	00	00	00	01	10000 / -
4	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
5	रसोईया	01	00	00	00	01	9930 / -
6	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	01	00	00	02	7944 / -

6. जिला दंतेवाड़ा के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	01	00	00	00	01	23170/-
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01	00	00	00	01	18536/-
3	पैरामेडिकल स्टाफ	01	00	00	00	01	11916/-
4	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	00	00	00	01	10000/-
5	एजुकेटर	01	00	00	00	01	10000/-
6	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	00	00	00	01	10000/-
7	रसोईया	00	01	00	00	01	9930/-
8	सहायक सह रात्रि चौकीदार	00	02	00	00	02	7944/-

7. जिला सरगुजा के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	00	02 (01 पद महिला)	00	01	03	23170/-
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	00	02 (01 पद महिला)	00	01	03	18536/-
3	हाउस फादर	00	00	00	01	01	14564/-
4	पैरामेडिकल स्टाफ	00	02 (01 पद महिला)	00	01	03	11916/-
5	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	03 (02 पद महिला)	00	01	05	10000/-
6	एजुकेटर	01	00	00	00	01	10000/-
7	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	00	00	00	01	10000/-
8	रसोईया	01	00	00	00	01	9930/-
9	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	00	00	00	01	7944/-

8. जिला कबीरधाम के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	00	00	00	01	10000/-
2	एजुकेटर	01	00	00	00	01	10000/-
3	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	00	00	00	01	10000/-
4	रसोईया	01	00	00	00	01	9930/-
5	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	00	00	00	01	7944/-

9. जिला महासमुंद के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
2	एजुकेटर	01	00	00	00	01	10000 / -
3	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	00	00	00	01	10000 / -
4	रसोईया	01	00	00	00	01	9930 / -
5	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	00	00	00	01	7944 / -

10. जिला रायपुर के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	01	00	00	00	01	23170 / -
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01	00	00	00	01	18536 / -
3	हाउस मदर	01 (महिला)	00	00	00	01	14564 / -
4	पैरामेडिकल स्टॉफ	01	00	00	00	01	11916 / -
5	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	02 (01 पद महिला)	01	01	00	04	10000 / -
6	एजुकेटर	01 (महिला)	01	01	00	03	10000 / -
7	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01 (महिला)	01	01	00	03	10000 / -
8	रसोईया	03 (01 पद महिला)	00	00	01	04	9930 / -
9	सहायक सह रात्रि चौकीदार	03 (01 पद महिला)	00	01	01	05	7944 / -

11. जिला दुर्ग के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	01	00	00	01	02	23170 / -
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01	00	00	01	02	18536 / -
3	पैरामेडिकल स्टॉफ	01	00	00	01	02	11916 / -
4	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	02	01	00	01	04	10000 / -
5	एजुकेटर	01	01	00	00	02	10000 / -
6	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01	01	00	00	02	10000 / -
7	रसोईया	02	00	01	00	03	9930 / -
8	सहायक सह रात्रि चौकीदार	01	00	01	00	02	7944 / -
9	हाउस कीपर	01	00	00	00	01	7944 / -

12. जिला राजनांदगांव के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	01 (महिला)	00	00	00	01	23170/-
2	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01 (महिला)	00	00	00	01	18536/-
3	पैरामेडिकल स्टॉफ	01 (महिला)	00	00	00	01	11916/-
4	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	02 (महिला)	01	00	00	03	10000/-
5	एजुकेटर	01 (महिला)	01	00	00	02	10000/-
6	कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	01 (महिला)	01	00	00	02	10000/-
7	रसोईया	00	00	01	01 (महिला)	02	9930/-
8	सहायक सह रात्रि चौकीदार	00	00	01	00	01	7944/-

13. किशोर न्याय बोर्ड (जिला-बालोद, कांकेर, कोरबा एवं रायगढ़) एवं बालक कल्याण समिति (जिला-बस्तर, बिलासपुर, कांकेर, कोरबा एवं मुंगेली) में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	जिला	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित मासिक वेतनमान
			अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	बालोद	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	00	00	00	01	11916/-
2	कांकेर		01	01	00	00	02	
3	कोरबा		01	01	00	00	02	
4	रायगढ़		01	00	00	00	01	
5	बस्तर		01	00	00	00	01	
6	बिलासपुर		00	00	01	00	01	
7	मुंगेली		00	00	01	00	01	

टीप :- पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

14. बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :-

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
हाउस मदर/हाउस फादर	समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान/विधि या या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अर्द्धशासकीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन/बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप के रूप में बच्चों की देखभाल/संरक्षण/पुर्नवास/बाल कल्याण के क्षेत्र में कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/जन स्वास्थ्य/काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
पैरा मेडिकल स्टॉफ	एएनएम/एमपीडब्ल्यू अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्थान से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र	—	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी चिकित्सालय में पैरा मेडिकल स्टॉफ के रूप में 2 वर्ष का कार्यानुभव	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
स्टोर कीपर सह लेखापाल	वाणिज्य/अर्थशास्त्र अथवा समकक्ष विषय में स्नातक, अथवा सी.ए./आईसीडब्ल्यूए इंटर	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/टेली तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान/चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में लेखा एवं लेखासंधारण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव /आर्टिकल क्लर्क के रूप में 3 वर्ष का कार्यानुभव	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
रसोईया	आठवीं पास	—	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 03 वर्ष का रसोईया का कार्यानुभव।	—
सहायक सह रात्रि चौकीदार	पाचवीं पास	—	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी/चौकीदार का कार्यानुभव।	—
हाउस कीपर	पाचवीं पास	—	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी का कार्यानुभव।	—
पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं एवं योग में डिग्री/डिप्लोमा/बीपीएड	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान में पीटी इस्ट्रक्टर/योग प्रशिक्षक काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
एजुकेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं बी.एड.	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थान के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान में कला/क्राफ्ट/संगीत शिक्षक के रूप में काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।

15. किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में रिक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :-

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	हिन्दी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीर्ण

16. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

17. आयु सीमा-

17.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

17.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

17.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।

18. निवास :- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

19. पदों हेतु आरक्षण :- संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

21. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप :- कंडिका-20 एवं 21 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

22.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

22.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण—पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

22.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप :- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

23. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

24. **नियुक्ति प्राधिकारी :-**जिला स्तरीय पदों के लिए जिला—कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

25. **अंकीय प्रणाली :-**निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :-

25.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

25.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

25.3 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

25.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।

25.5 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

26. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 25 के उप कंडिका 25.1 एवं 25.2 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

26.1 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

26.2 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

27. नियुक्ति की अवधि :-

- 27.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।
- 27.2 जिला बाल संरक्षण इकाई/बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 27.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बतायें भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 27.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 27.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 27.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।

28. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-


- 28.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 28.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 28.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
- 28.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 28.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

28.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

29. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।
30. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.cgwcd.gov.in एवं www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।
31. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :-

1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।


(जनमेजय महोबे)

संचालक

संचा. महिला एवं बाल विकास विभाग
एवं सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)